

	<p>(2) उसके बाद प्रत्येक ऐसा उम्मीदवार पेश हो सकता है और कारण बता सकता है और उसे तथा किसी गवाही जो उस मामले में शामिल है, को पुनः बुला सकता है।</p> <p>(3) जिला न्यायाधीश तदपश्चात या तो उस प्रतिबंधित आदेश को रद्द कर देगा अथवा उसे ठीक ठहराएगा और ऐसे मामले में वह चुनाव आयोग को नए सिरे से निर्वाचन कार्यवाही आयोजित करने का निर्देश देगा।</p>	
	<p><b>100.</b> जिला न्यायाधीश किसी उम्मीदवार को किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में दोषी पाए तो ग्राम साधारण निकाय की सदस्यता अथवा इस विनियम के तहत चुनाव लड़ने अथवा किसी कार्यालय या सरकारी स्थान अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में नियुक्ति या बने रहने अथवा किसी ग्राम साधारण निकाय के सदस्य के रूप में पंजीकृत होने पर अयोग्य घोषित कर सकता है जिसकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी जैसा भी हो जिला न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है।</p>	भ्रष्टाचार अथवा गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए अयोग्य।
	<p><b>101.</b> (1) इस विनियम में शामिल किसी प्रावधान के होते हुए भी चुनाव क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित किसी विधि की वैधता अथवा उस चुनाव क्षेत्र के सीट आबंटन अथवा इस विनियम के अधीन का होना तात्पर्यित को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा।</p> <p>(2) धारा 96,97,98,99 और 100 में उपलब्ध अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल न्यायालय को इस विनियम के तहत निर्वाचन के आयोजन के संबंध में चुनाव आयुक्त या सचिव, जनजातीय कल्याण या उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई अथवा दिए गए निर्णय की वैधता को प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं होगा।</p>	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेत्र का वर्जन
	<p><b>102.</b> उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद के मामले में किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद द्वारा किसी दखल अचल सम्पत्ति की निरीक्षण करने तथा ऐसे ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद जिनके निर्देशन में कार्य प्रगति पर है, जैसा भी मामला हो, वहाँ जा कर जाँच करने के लिए अपने किसी अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।</p>	प्रवेश करने का अधिकार
	<p><b>103.</b> (1) इस विनियम या उसके अंतर्गत निर्भित नियम या उप-नियम के तहत सदमावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के संबंध में ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्य कर रहे किसी भी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी अथवा एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।</p> <p>(2) इस विनियम तथा उसके अंतर्गत निर्भित नियम तथा उप-नियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा किया गया कार्य तात्पर्यिक है, किसी भी ग्राम परिषद या द्वीप परिषद या फर्स्ट कैप्टन या सेकेन्ड कैप्टन या चीफ कैप्टन या वाइस चीफ कैप्टन या उनके कोई सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं</p>	परिषद आदि के खिलाफ कार्रवाई का वर्जन तथा संस्थित करने से पूर्व नोटिस देना।